कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, Const.DIV. POKHARI

Ph. No/Fax No :- 01372-222156 **E Mail :-eepwdpokhari@rediffmail.com**

पत्रांक 2197 **/ 11सी0** **दिनांक** 26**/ 12 / 2018**

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषयः— चोपड़ा—हरिशंकर मोटर मार्ग से नखोलिखयाना—पोखरी हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय देहरादून के पत्र सं0 8बी/यू. सी.पी./06/75/2018/एफ.सी./1600 दिनांक 31.10.2018।

महादेय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में चोपड़ा—हरिशंकर मोटर मार्ग से नखोलियाना—पोखरी हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	इंगित आपत्ति	निराकरण
01	Regrading point no.I SDLC proceedings is uploaded photocopy and without date. State Govt. may upload original hard copy of SDCL Proceedings with date.	The Objection has been corrected and uploaded at required part 1 online.
02	In reply to point 4 no of trees mentioned in part II are 46 out of which 26 are in 0-10 dia but hard copy mentioned 147 out of which 101 in 0-10 din which is huge difference.	The part-II is concerned with DFO, so the objection will be corrected by respective DFO.
03	In reply to point no 5 justfication submitted in hard copy in not satisfactory. State Govt may review and sunmit correct justification for the same.	The Objection has been corrected and uploaded at required part 1 online.

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

26/12/18

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी

26/12/18

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जिला चमोली के विकास खण्ड पोखरी में चोपड़ा–हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा–नखोलियाणा–पोखरी मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पोखरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चोपड़ा–हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा–नखोलियाणा** के नव निर्माण हेतु **3.01 है० सिविल/वन पंचायत भूमि** का **लोक निर्माण विभाग**, पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की दिनांक 13/11/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री** , उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री G. L. Binwal उपजिलाधिकारी Pokhari अध्यक्ष
2– श्री त्रिलोक उप प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ व.प्र.गोपेश्वर सदस्य
3– श्री पिंकी मंगलवान सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
4– श्री प्रभा देवी बी०डी०सी० क्षेत्र प्रभा देवी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **चोपड़ा–हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा–नखोलियाणा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.01 है० सिविल/वन पंचायत भूमि** का लो०नि०वि० पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, गोपेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **पोखरी** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चोपड़ा–हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा–नखोलियाणा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.01 है० सिविल वन भूमि** का लो०नि०वि० पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

13/11/19
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पोखरी
जनपद– चमोली

उप जिलाधिकारी
पोखरी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13/11/19
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पोखरी
जनपद– चमोली

उप जिलाधिकारी
पोखरी

सहायक समाज कल्याण अधि
विकास खण्ड पोखरी

NOTE FOR JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

कार्य का नाम– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत चोपडा–हरीशंकर से पोखरी तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 8 कि0मी0।

यह मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई मोटर मार्ग के कि0मी0 17.00 के है0 मी0 (0–2) से प्रारम्भ होकर पोखरी तक 8 कि0मी0 की लम्बाई में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिससे कि ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी वर्तमान में गांव की महिलाए पानी लकडी, चारा आदि लाने दूर जाती है मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दें पाऐंगी। गॉव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के ओर नए अवसर मिलेंगें। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज, आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे। साथ ही गाव विकास की ओर अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें।

समरेखण–1 यह मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई मोटर मार्ग के कि0मी0 17.00 के है0 मी0 (0–2) से प्रारम्भ होकर पोखरी तक 8 कि0मी0 कि लम्बाई में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस समरेखण पर क्षेत्रिय जनता की सहमति हैं तथा भू–गर्भ वेता द्वारा भी समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में कोई भी हेयरपिन बैण्ड 9 है तथा वृक्षों की सं0 कम प्रभावित होती हैं।

समरेखण–2 यह मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई मोटर मार्ग के कि0मी0 17.00 के है0 मी0 (0–2) से प्रारम्भ होकर पोखरी तक 8 कि0मी0 कि लम्बाई में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस समरेखण से क्षेत्रिय जानता भी सहमत नहीं हैं एवं भू–गर्भ वेता द्वारा मार्ग निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया हैं। इस समरेखण में हेयरपिन बैण्ड कि सं0 11 है तथा वृक्षों की संख्या अधिक प्रभावित होती हैं।

उपरोक्त दोनों समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं हैं। अतः मार्ग निर्माण हेतु संमरेखण न0–1 उपर्युक्त हैं।

(Signature)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
पोखरी (चमोली)

(Signature) 11/10/17
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
पोखरी (चमोली)